

2024/661.

रिपोर्ट  
24/12/24

313  
24

2024/663

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,  
उपखण्ड ..... जिला .....  
विषय:- राजस्व रिकार्ड दुरस्ती बाबत अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा .....  
द्वारा- पटवारी पटवार हल्का .....  
महोदय,  
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है -

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्दरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का राजस्व ग्राम खाता संख्या खसरा संख्या रकबा हेक्टेयर में	मकीन सिंह S/O शिवू सिंह भाति रामपूर शेख नदतुल (जमाबंदी)	आदित्य शर्मा S/O शिवू शर्मा सिंह भाति रामपूर शेख नदतुल

संलग्न दस्तावेज (संलग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) -

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी /नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्या:-

हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशाखा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):-

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, जिला .....  
का हल्का पटवारी के द्वारा अशुद्धि प्रविष्टि को अन्दरलाईन कर दिया गया है।  
भू.अ.नि.रीक्षक  
हस्ताक्षर पटवारी

तहसीलदार की टिप्पणी :-

हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ..... जिला .....  
क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/ 313 आदेश दिनांक:- 24/12/24

प्रार्थी ..... के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार ..... की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में हुई अशुद्धि को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार ..... राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावे।

उपखण्ड अधिकारी  
नावा

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/ 313  
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

दिनांक:- 24/12/24

1. तहसीलदार ..... को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
2. हल्का पटवारी ..... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रार्थी / आवेदक ..... को सूचनार्थ।

शिवू शर्मा  
शेख नदतुल

उपखण्ड अधिकारी  
नावा